







उनवान:- अमरसिंह बनाम हरकेश
दावा बाबत घोषणा खातेदार, बंटवारा, इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
	<p>वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदार, बंटवारा इन्द्राज दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा आर टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 25.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
25/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वास्ते इंटरकार नोटिस तलबी दिनांक 9.12.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
8/12/22	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... रावकाय से ना डाली पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 3.1.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
9.1.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी न०। लगा० 126 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए वादी वकील को दिनांक 31 जई वास्ते तलबी दिनांक 6.2.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
6/2/23	<p>वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... रावकाय से ना डाली पधारे हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक... 28.2.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
28/2/23	<p>पत्रावली पेश हुई। दाव की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक... 17.3.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>



फर्द अहकाम

L
5 पनावली पेश हुई। वाडी सुप वाडी वमीर कोई
उपस्थित नहीं वाट २ भावाज दिखई गई
इसके वावजूद भी कोई भी कपासफल नहीं
हुआ। इससे वाडी का डाय वावर घोषणा
सहित वाडी सुप वाडी वमीर की कडम डाली
में खारेज की जाती है। पनावली फेंसल सुमार
दोसल नम्बर १६ नम फल डालीव उपर हो।
&